



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री
Geographical Indication Registry



वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999.
Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999

धारा 16 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा धारा 17 (3) (ई) के अधीन प्राधिकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
Certificate of Registration of Geographical Indication under section 16 (1) ~~or of authorised user under section 17 (3)(e)~~

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:
Geographical Indication No.: 120

CERTIFICATE NO. 105

प्राधिकृत उपयोक्ता संख्या
Authorised user No.:

दिनांक
Date : 19.12.2007

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी समाकृति इसके साथ उपाबद्ध है) / प्राधिकृत उपयोक्ता
गोआ काजू फेनी उत्पादक व बोटलर्स असोसियेशन, डी 3/26, टिविम इंडस्ट्रियल एस्टेट, करासवेडो, मपोसा, गोआ - 403 507 और विज्ञान
विभाग, तकनॉलजी व पर्यावरण डी एस टी और ई, गोआ सरकार सेलीगोओ सेमिनरी, सेलिगोआ, बार्डेज, गोआ - 403 511

के नाम से 33 वर्ग में 120 संख्या के अधीन 19.12.2007 दिनांक को

मादक पेय वर्ग 33 के अंतर्गत " फेनी "

के लिए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

Certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto) / ~~authorised user~~ has been registered in
the register in the name of Goa Cashew Feni Manufacturers and Bottlers Association, D 3/26, Tivim Industrial Estate, Karaswado
Mapussa, Goa - 403 507 & Department of Science, Technology & Environment (DST & E), Government of Goa, Opposite
Saligao Seminary, Saligao, Bardez, Goa - 403 511.

in class 33 under no.120 as of the date 19.12.2007

in respect of: FENI " Falling in Class 33 for Alcoholic Beverages.

आज दिनांक 05 माह मार्च 2009 को चेन्नई में मेरे निदेश पर मुद्रांकित किया गया।

Sealed at my direction this 05 th day of March 2009 at Chennai.


रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन
Registrar of Geographical Indication.

रजिस्ट्रीकरण इसमें ऊपर प्रथम उल्लिखित तिथि से 10 वर्ष के लिए है और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की और अवधि के पश्चात भी नवीकृत किया जा सकता है।

Registration is for 10 years from the date first above mentioned and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years thereafter.

इस प्रमाणपत्र का उपयोग विधिक कार्यवाही में या विदेश में, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

This Certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.